(1)

समक्ष न्यायालय – सदस्य राजस्व मंडल, ग्वालियर

नि.पुनर्विलोकन/छिंदवाडा/भू.रा./2018/1598

गौरव पोपली पिता श्री चंद्रकांत पोपली, उम्र करीब 32 वर्ष
निवासी– श्याम टॉकीज, छिंदवाड़ा
तहसील व जिला छिंदवाड़ा ..... पुनर्विलोकनकर्ता

विरूद्ध

1. चिबल पिता फुलचंद यादव
2. लक्षमण पिता फुलचंद यादव
3. टीकाराम पिता प्रेमलाल यादव
4. मेहताब पिता बब्बू यादव
5. गनाराम पिता बिहारी यादव
6. गनाराम पिता टेकचंद यादव
7. विशाल पिता श्यामलाल यादव

   क्रं. 1 से 3 निवासी– झील मोहल्ला छोटा तालाब छिंदवाड़ा
   तहसील व जिला छिंदवाड़ा
   क्रं.4 से 7 निवासी– अंतरबेल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा
   तहसील व जिला छिंदवाड़ा
8. श्रीमती कमला बाई पति लक्ष्मीप्रसाद
   निवासी– ग्राम गुढ़ी तहसील जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा
9. राहुल जुनेजा पिता श्री राजकुमार जुनेजा
10. श्रीमती रजनी जुनेजा पति स्व. श्री राजकुमार जुनेजा
11. कु.अनमोल जुनेजा पिता स्व.श्री राजकुमार जुनेजा
    क्रं.9, 10, 11 विधिक प्रतिनिधि(मृत) राजकुमार जुनेजा पिता स्व.श्री लालचंद जुनेजा, 9 से 11 निवासी– शनिचरा बाजार नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा , तहसील व जिला छिंदवाड़ा
12. नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा
    द्वारा आयुक्त छिंदवाड़ा, तहसील व जिला छिंदवाड़ा .... उत्तरवादीगण

सतेन्द्र सिंह धाकड़ द्वारा 07/03/18 को
प्रारंभिक तर्क हेतु
14-3-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 7-3
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

Thakad
सतेन्द्र सिंह धाकड़
07.03.2018

पुनर्विलोकन याचिका अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.सं.

राजस्व प्रकरण क्रमांक निगरानी–1342–एक/13 एवं प्रकरण क्रमांक निगरानी–1343–एक/13 मौजा ग्राम छिंदवाड़ा खास, तहसील व जिला छिंदवाड़ा पक्षकार चिबल यादव एवं अन्य विरूद्ध राजकुमार जुनेजा एवं अन्य न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (सदस्य एम. के. सिंग) के समेकित अंतिम आदेश दिनांक 04/04/2014 से व्यथित होकर यह पुनर्विलोकन याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :–

पुनर्विलोकन के तथ्य

1. यह कि, पुनर्विलोकनकर्ता छिंदवाड़ा का स्थायी निवासी है, यहां पर उसकी चल–अचल संपत्ति स्थित है। पुनर्विलोकनकर्ता मौजा छिंदवाडा खास, ब0नं0 177, प0ह0नं0 22, तहसील व जिला छिंदवाड़ा, तहसील व जिला छिंदवाड़ा में मुनिस्पल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/पुनरावलोकन/छिंदवाड़ा/भू.रा./2018/1598

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/10/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह पुनरावलोकन आवेदन तत्कालीन सदस्य द्वारा निगरानी प्रकरण क्र. 1342-एक/13 एवं निगरानी 1343-एक/13 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2014 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है। 2/ उभयपक्षो के तर्कों पर विचार किया एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्र. 10674/2014 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22.07.2014 का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पक्षकारों को प्रश्नाधीन संपत्ति के संबंध में दिनांक 22.07.2014 की स्थिति में यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए हैं, उक्त आदेश में किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया को रोकने के संबंध में स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत किसी भी न्यायिक प्रक्रिया को रोकने के लिए स्थगन जारी नहीं किए जाते हैं। यहां पर यह उल्लिखित किया जाना आवश्यक होगा कि इस प्रकरण का आवेदक माननीय उच्च न्यायालय में पक्षकार नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरे मतानुसार माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 22.07.2014 के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण की कार्यवाही को रोका जाना वैधानिक नहीं है। अतः अनावेदक अधिवक्ता की आपत्ति अमान्य की जाती है। 3/ जहां तक प्रकरण के गुण-दोषों का प्रश्न है, आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट है कि विद्वान सदस्य ने केवल इस आधार पर कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा-57(2) के तहत पारित आदेश अंतिम आदेश होकर अपीलनीय है। जिसके विरुद्ध निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है। यह भी कहा गया है कि अनावेदक द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष निगरानी पेश की गई थी और कलेक्टर	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	द्वारा निगरानी को अपील में परिवर्तित नहीं किया गया था। इस कारण उनका आदेश क्षेत्राधिकार रहित है। परंतु विद्वान सदस्य ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के संबंध में कोई निष्कर्ष अपने आदेश में नहीं दिए गए हैं जो कि आवश्यक था। उक्त त्रुटि अभिलेख से स्पष्ट दर्शित है जो पुनरावलोकन हेतु पर्याप्त आधार है। दर्शित परिस्थिति में यह पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा तत्कालीन सदस्य द्वारा निगरानी प्रकरण क्र. 1342-एक/13 एवं निगरानी 1343-एक/13 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2014 निरस्त किए जाते हैं तथा उक्त निगरानी प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नियत किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। पक्षकार सूचित हों। प्रशासकीय सदस्य	